तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज.
हुक्म

२०/११/२०२५

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। हमने
प्रा०पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पर वकील उभयपक्ष
द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। प्रा. पत्र आदेश
07 नियम 11 जा.दी. व पत्रावली का अवलोकन किया।
अतः वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं प्रा. पत्र,
पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन के आधार
पर प्रार्थी/प्रतिवादी नं. 01 द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र आर्डर
07 नियम 11 CPC स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता
है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी नंबर 01 द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र
आदेश 07 नियम 11 जा.दी. स्वीकार योग्य होने से स्वीकार
किया जाता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दावा उद्घोषणा,
बेदखली, हर्जा दुरुस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा खारिज
किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर
बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
20/11/25

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

मुकदमा नम्बर 117/2025
प्रकरण दर्ज दिनांक 17.6.2025
प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी.
निर्णय दिनांक 20.11.2025

उनवानः– राजसिंह बनाम प्रबन्ध समिति आदर्श विधा मन्दिर

दावा उद्घोषणा शून्य घोषित किये जाने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.08.1983 प्रभूदयाल बहक प्रबन्ध समिति आदर्श विधा मन्दिर तथा बेदखली एवं इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मन्दिर माफी किये जाने व स्थायी निषेधाज्ञा

(प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11सीपीसी)
निर्णय

दिनांक 17.11.2025

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जर्ये वकील श्री नवीन गुर्जर के प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का दिनांक 16.07.2025 को पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः– वादी ने एक दावा न्यायालय हाजा के समक्ष दावा उद्घोषणा, शून्य घोषित किये जाने रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 25.08.1983 प्रभूदयाल बहक प्रबंध समिति आदर्श विद्या मन्दिर बांदीकुई तथा बेदखली एवं इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड मंदिर माफी किये जाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत पेश कर निम्न रिलिफ चाही है। भूमि खाता संख्या नया 47 पुराना 42 खसरा नम्बर 609 रकबा 0.01 हैक्टे. गै. मु.चाह, खसरा नं. 610 रकबा 2.92 हैक्टे. गै.मु. स्कूल कुल किता 02 कुल रकबा 2.93 हैक्टे. स्थित वाके ग्राम मुकरपुरा पटवार हल्का श्यालावास खुर्द तहसील बांदीकुई जिला दौसा का अवैध रूप से किया गया रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 25.08.1983 को शून्य घोषित किया जाकर भूमि मुतदाविया की प्रबन्ध समिति आदर्श विद्या मन्दिर के नाम दर्ज खातेदारी को निरस्त किया जाकर भूमि मुतदाविया की खातेदारी मूर्ति मन्दिर श्री राधावल्लभ जी माधोगंज मण्डी बांदीकुई के नाम दर्ज की जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अंकन किया जावें। भूमि मुतदाविया का अवैध रूप से किया गया रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 25.08.1983 अनाधिकृत रूप से मूर्ति मन्दिर श्री राधावल्लभ जी माधोगंज मण्डी बांदीकुई की भूमि को विक्रय कर कब्जा प्रबन्ध समिति आदर्श विद्या मन्दिर को दे दिया है। जिस पर प्रबन्ध समिति का विद्यालय चल रहा है। उक्त विक्रय अवैध व शून्य होने से भूमि मुतदाविया से प्रबन्ध समिति द्वारा निर्मित भवन को हटाया जाकर उसको बेदखल किया जाकर कब्जा मूर्ति मन्दिर श्री राधावल्लभ जी माधोगंज मण्डी बांदीकुई को कब्जा दिलवाया जावें। प्रतिवादीगण को इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावें कि वे भूमि मुतदाविया भूमि खाता संख्या नया 47 पुराना 42 खसरा नम्बर 609 रकबा 0.01 हैक्टे. गै.मु.चाह, खसरा नं. 610 रकबा 2.92 हैक्टे. गै. मु.स्कूल कुल किता 02 कुल रकबा 2.93 हैक्टे. स्थित वाके ग्राम मुकरपुरा पटवार हल्का श्यालावास खुर्द तहसील बांदीकुई जिला दौसा के दिनांक 25.08.1983 को किये गये अवैध विक्रय–पत्र की आड़ में भूमि मुतदाविया पर कोई पुख्ता या खाम निर्माण करने से रहन बय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने से प्रतिबन्धित रहे। राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। (द) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी सं. 01 लगायत 10 से

Scanned with OKEN Scanner

दिलाया जावें। अन्य कोई मदद बहक वादी जो न्यायालय मुनासिफ समझे दिलायी जावें। धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निम्न है –धारा 88 अधिकार की घोषणा के लिये वाद 1– अभिधारी या सह अभिधारी होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, इस घोषणा के लिये वह अभिधारी है या ऐसी संयुक्त अभिधृति है या ऐसी संयुक्त अभिधृति में अपने हिस्से की घोषणा के लिये वाद ला सकेगा। खुदकाश्त अभिधारी इस घोषणा के लिये कि वह ऐसा अभिधारी है वाद ला सकेगा। उप–अभिधारी ऐसे व्यक्ति, जिससे वह भूमि धारण करता है, के विरूद्ध इस घोषणा के लिये कि वह उप–अभिधारी है, वाद ला सकेगा। राज्य सरकार से भिन्न कोई भू–धारक, किसी जोत के अभिधारी या सह–अभिधारी या खुदकाश्त अभिधारी या उप–अभिधारी होने का दावा करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा के लिये वाद ला सकेगा। वादपत्र में वादी ने बिना वाद कारण उत्पन्न हुये पेश किया है। जो उद्घोषणा वादी ने वादपत्र में चाही है उसमें स्वयं के लिये कुछ भी नहीं चाहा गया है। ऐसे में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वादपत्र पोषणीय नहीं है। वादी ने वादपत्र में रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 25.08.1983 को शून्य घोषित करने की रिलिफ चाही है। कानून रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र को शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। केवल सिविल न्यायालय ही उस पर विचारण कर सकता है। दावा विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज होने योग्य है। वादी ने वाद पत्र में दिनांक 25.05.2025 को प्रतिवादी सं. 01 से वार्ता का जिक्र किया है जबकि दिनांक 25.05.2025 को रविवार का अवकाश होने तथा ग्रीष्माकालीन अवकाश होने से विद्यालय बंद था। इससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादपत्र में झूठे तथ्यों के आधार पर बिना वाद कारण उत्पन्न हुये दावा पेश किया है। भूमि वादग्रस्त बाबत मिन प्रतिवादी के प्रार्थना–पत्र पर जिला कलेक्टर दौसा द्वारा विस्तृत जाँच करवाने के पश्चात दिनांक 07.03.2018 को अपने पत्र कमांक R18। (25) 2017/2348 के जरिये उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को सूचित किया कि प्रकरण प्राप्त होने पर प्रकरण में विधिक राय प्राप्त की गई। प्राप्त विधिक राय के अनुसार प्रकरण में अंकित भूमि मंदिर माफी की न होकर इनाम देन ठिकाना देवीसहाय वल्द रामनिवास कौम ब्राह्मण को दी जाना जिनके निवास के रूप में मंदिर का उल्लेख किया गया है। प्रकरण दुरूस्ती करण से संबंधित है। प्रशासनिक आदेश द्वारा नामान्तकरण का आदेश जारी करना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है इसलिये यह दुरूस्तीकरण की कार्यवाही राजस्व भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत ही सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार की जा सकती है। श्रीमान् जिला कलेक्टर के आदेशानुसार प्रार्थी संस्था द्वारा न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट महोदय बांदीकुई के समक्ष प्रार्थना–पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 में मु.नं. 23/18 न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक पेश किया जिसे वाद विचारण 08.07.2025 को स्वीकार किया गया है। इससे साफ जाहिर है कि भूमि वादग्रस्त मंदिर माफी की है ही नहीं इस बाबत पूर्व में विस्तृत जॉच हो चुकी है और न्यायालय के निर्णय के पश्चात प्रार्थी संस्था के हक में जरिये विक्रय–पत्र नामान्तकरण स्वीकृत किया जा चुका है। उपरोक्त वादपत्र महज प्रतिवादी संस्था को परेशान करने एवं अपने कलुषित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये मिन प्रतिवादी संस्था को तंग करने के लिये पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

वादी की ओर उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब निम्न प्रकार पेश किया है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नम्बर 01 में दर्ज तथ्य दावा पेश करने बात सही है तथा जिम्मन नम्बर 01 में अ ब स द य वादी द्वारा प्रस्तुत चाहे गये अनुतोष बाबत दर्ज किये गये है जो वादपत्र में दर्ज किये अनुसार सही है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का

Scanned with OKEN Scanner

दिलाया जावें। अन्य कोई मदद बहक वादी जो न्यायालय मुनासिब समझे दिलायी जावें।
धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निम्न है –धारा 88 अधिकार की घोषणा के लिये
वाद 1– अभिधारी या सह अभिधारी होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, इस घोषणा के
लिये वह अभिधारी है या ऐसी संयुक्त अभिधृति है या ऐसी संयुक्त अभिधृति में अपने हिस्से
की घोषणा के लिये वाद ला सकेगा। खुदकाश्त अभिधारी इस घोषणा के लिये कि वह
ऐसा अभिधारी है वाद ला सकेगा। उप–अभिधारी ऐसे व्यक्ति, जिससे वह भूमि धारण करता
है, के विरूद्ध इस घोषणा के लिये कि वह उप–अभिधारी है, वाद ला सकेगा। राज्य
सरकार से भिन्न कोई भू–धारक, किसी जोत के अभिधारी या सह–अभिधारी या खुदकाश्त
अभिधारी या उप–अभिधारी होने का दावा करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे व्यक्ति के
अधिकार की घोषणा के लिये वाद ला सकेगा। वादपत्र में वादी ने बिना वाद कारण उत्पन्न
हुये पेश किया है। जो उद्‌घोषणा वादी ने वादपत्र में चाही है उसमें स्वयं के लिये कुछ भी
नहीं चाहा गया है। ऐसे में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वादपत्र
पोषणीय नहीं है। वादी ने वादपत्र में रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 25.08.1983 को शून्य
घोषित करने की रिलिफ चाही है। कानून रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र को शून्य घोषित करने का
क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। केवल सिविल न्यायालय ही उस पर विचारण
कर सकता है। दावा विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज होने योग्य है। वादी ने वाद पत्र में
दिनांक 25.05.2025 को प्रतिवादी सं. 01 से वार्ता का जिक्र किया है जबकि दिनांक 25.05.
2025 को रविवार का अवकाश होने तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश होने से विद्यालय बंद था।
इससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादपत्र में झूठे तथ्यों के आधार पर बिना वाद कारण उत्पन्न
हुये दावा पेश किया है। भूमि वादग्रस्त बाबत मिन प्रतिवादी के प्रार्थना–पत्र पर जिला
कलेक्टर दौसा द्वारा विस्तृत जाँच करवाने के पश्चात दिनांक 07.03.2018 को अपने पत्र
कमांक R18। (25) 2017/2348 के जरिये उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को सूचित किया
कि प्रकरण प्राप्त होने पर प्रकरण में विधिक राय प्राप्त की गई। प्राप्त विधिक राय के
अनुसार प्रकरण में अंकित भूमि मंदिर माफी की न होकर इनाम देन ठिकाना देवीसहाय
वल्द रामनिवास कौम ब्राह्मण को दी जाना जिनके निवास के रूप में मंदिर का उल्लेख
किया गया है। प्रकरण दुरुस्ती करण से संबंधित है। प्रशासनिक आदेश द्वारा नामान्तकरण
का आदेश जारी करना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है इसलिये यह दुरुस्तीकरण की
कार्यवाही राजस्व भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत ही सक्षम
न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार की जा सकती है। श्रीमान् जिला कलेक्टर के
आदेशानुसार प्रार्थी संस्था द्वारा न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट
महोदय बांदीकुई के समक्ष प्रार्थना–पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 में मु.नं. 23/18
न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक पेश किया जिसे वाद विचारण 08.07.2025 को स्वीकार किया
गया है। इससे साफ जाहिर है कि भूमि वादग्रस्त मंदिर माफी की है ही नहीं इस बाबत
पूर्व में विस्तृत जॉच हो चुकी है और न्यायालय के निर्णय के पश्चात प्रार्थी संस्था के हक
में जरिये विक्रय–पत्र नामान्तकरण स्वीकृत किया जा चुका है। उपरोक्त वादपत्र महज
प्रतिवादी संस्था को परेशान करने एवं अपने कलुषित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये मिन
प्रतिवादी संस्था को तंग करने के लिये पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

वादी की ओर उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब निम्न प्रकार पेश किया है कि
प्रार्थना पत्र का जिम्मन नम्बर 01 में दर्ज तथ्य दावा पेश करने बात सही है तथा जिम्मन
नम्बर 01 में अ ब स द य वादी द्वारा प्रस्तुत चाहे गये अनुतोष बाबत दर्ज किये गये है जो
वादपत्र में दर्ज किये अनुसार सही है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का

Scanned with OKEN Scanner

जिम्मन नम्बर 02 कानूनी है। वादी का दावा विधि सम्मत है व वादी को दावा लाने का विधिक अधिकार प्राप्त है जो किसी भी अनुसार बाधित नही है। प्रार्थना पत्र का जिम्मन नम्बर 03 जिस प्रकार दर्ज किया गया है कतई गलत है अस्वीकार है। वादी को वाद कारण उत्पन्न हुआ है। मन्दिर माफी की भूमि वास्ते दावा वादी को लाने का अधिकार है मन्दिर माफी की भूमि को किसी भी व्यक्ति को विक्रय करने का अधिकार नही है तथा वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है जिसे मन्दिर श्री राधावल्लभ जी की सेवा पूजा भोग प्रसाद व उत्सव त्यौहारो पर होने वाले खर्चो व पुजारी के जीवन यापन के लिये मूर्ति मन्दिर श्री राधावल्लभ जी को वादी के पूर्वजो द्वारा दिया गया था रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा मन्दिर माफी की बेची गई जमीन जिस बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है और वाद पत्र में सम्पूर्ण वाक्यात दर्ज है रजिस्टर्ड विकय पत्र शून्य है। प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 04 कानूनी है मन्दिर माफी की भूमि का रजिस्टर्ड विकय पत्र प्रारम्भ से ही शून्य है और और उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र को शून्य किया जाकर मन्दिर माफी के नाम भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 05 जिस प्रकार दर्ज किया गया है कतई गलत है अस्वीकार है प्रार्थना पत्र देहिन्दा द्वारा उक्त पैरा का ठीक प्रकार से अवलोकन नहीं किया गया है उक्त पैरा में मिन वादी द्वारा धमकी देना दर्ज किया गया है जिसके लिये किसी कार्य दिवस की आवश्यकता नहीं है। वादी के कथन पूर्णतया सत्य है। प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 06 कतई गलत है वादी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी प्रस्तुत की गई है जिसमें वादग्रस्त भूमि मन्दिर माफी की होना स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। उक्त पैरा में वर्णित प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 मु.न. 23/18 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र देहिन्दा द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। मन्दिर माफी को भूमि में किसी प्रकार की दुरूस्ती किया जाना विधि विपरीत होने से अवैध व निष्प्रभावी है जिसके बाबत वादी को कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 07 का जवाब वर वक्त मौखिक बहस अर्ज कर दिया जावेगा। प्रार्थना पत्र देहिन्दा द्वारा ऑर्डर 07 नियम 11 से सम्बन्धि किसी प्रकार का कोई आधार का उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। ऐसी सूरत में प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई बहस के दौरान प्रार्थी/ प्रतिवादी अधिवक्ता का तर्क रहा है कि भूमि वादग्रस्त बाबत मिन प्रतिवादी के प्रार्थना–पत्र पर जिला कलेक्टर दौसा द्वारा विस्तृत जाँच करवाने के पश्चात दिनांक 07.03.2018 को अपने पत्र कमांक R18। (25) 2017/2348 के जरिये उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को सूचित किया कि प्रकरण प्राप्त होने पर प्रकरण में विधिक राय प्राप्त की गई। प्राप्त विधिक राय के अनुसार प्रकरण में अंकित भूमि मंदिर माफी की न होकर इनाम देन ठिकाना देवीसहाय वल्द रामनिवास कौम ब्राह्मण को दी जाना जिनके निवास के रूप में मंदिर का उल्लेख किया गया है। प्रकरण दुरूस्ती करण से संबंधित है। प्रशासनिक आदेश द्वारा नामान्तकरण का आदेश जारी करना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है इसलिये यह दुरूस्तीकरण की कार्यवाही राजस्व भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत ही सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार की जा सकती है। श्रीमान् जिला कलेक्टर के आदेशानुसार प्रार्थी संस्था द्वारा न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

Scanned with OKEN Scanner

महोदय बांदीकुई के समक्ष प्रार्थना–पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 में मु.नं. 23/18 न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक पेश किया जिसे वाद विचारण 08.07.2025 को स्वीकार किया गया है। इससे साफ जाहिर है कि भूमि वादग्रस्त मंदिर माफी की नहीं है इस बाबत पूर्व में विस्तृत जॉच हो चुकी है और न्यायालय के निर्णय के पश्चात प्रार्थी संस्था के हक में जरिये विक्रय–पत्र नामान्तकरण स्वीकृत किया जा चुका है। उपरोक्त वादपत्र महज प्रतिवादी संस्था को परेशान करने एवं अपने कलुषित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये मिन प्रतिवादी संस्था को तंग करने के लिये पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी /वादी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान तर्क किया है कि वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है जिसे मन्दिर श्री राधावल्लभ जी की सेवा पूजा भोग प्रसाद व उत्सव त्यौहारो पर होने वाले खर्चो व पुजारी के जीवन यापन के लिये मूर्ति मन्दिर श्री राधावल्लभ जी को वादी के पूर्वजो द्वारा दिया गया था रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा मन्दिर माफी की बेची गई जमीन जिस बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है और वाद पत्र में सम्पूर्ण वाक्यात दर्ज है रजिस्टर्ड विक्रय पत्र शून्य है। मन्दिर माफी की भूमि का रजिस्टर्ड विकय पत्र प्रारम्भ से ही शून्य है और और उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र को शून्य किया जाकर मन्दिर माफी के नाम भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया दस्तावेजात का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 08.07.2019 की छाया प्रति से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का मन्दिर माफी होने से संबंध दिनांक 08.07.2019 को निर्णय हो चुका है जिसमें न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि को मन्दिर माफी की भूमि नही मानते हुये मन्दिर माफी का नोट हटाये जाने तथा विधा मन्दिर के नाम नामान्तकरण खोलने के आदेश दियें गये है। इसलिये उक्त वाद को चलाये जाने का कोई औचित्य नही होने से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 का स्वीकार किया जाकर वादी वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा उक्त निर्णय आज दिनांक 20.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/11/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner